

१/१/२५

वकील पदकावान उपर । वकील पदकावान द्वारा लहसीलवाल चिड़ावा हारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस शक की गई । अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी हारा विभाजन प्रस्ताव पर किसी प्रकार की आपत्ति शतराज पेश नहीं किया गया अतः लहसीलवाल चिड़ावा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकल अन्तिम डिक्री किया जाकल निर्णय प्रक से टंकित करवाया जाकल शामिल पत्रावली किया गया । पत्रावली फंसल शुंमाल होकल नम्बर से कम हो लखिल दफ्तर हो ।

